

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला— भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना— सीपीएस जयपुर वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 67/22 दिनांक..... ०१/३/२०२२
2. (1) अधिनियम 2018 धारा 7, ऐए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120वी भादस  
 (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये—  
 (3) अधिनियम ..... धाराये :—  
 (4) अन्य अधिनियम व धाराये :—
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 9 समय..... 1:45 pm  
 (ब) अपराध के घटने का दिन :— सोमवार, दिनांक 28.02.2022, समय 01.35 पी०एम०  
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :— 23.02.2022 समय 11.30 ए०एम०
4. सूचना की किस्म :— टाईपशुदा
5. घटनास्थल :—  
 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :—चौकी से उत्तर पश्चिम में करीब 45 कि०मी० दूर।  
 (ब) पता :— तगसिंह बेरा आडा मार्ग, सायला।  
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :—
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—  
 श्री कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :—

  1. श्री पूराराम पुत्र श्री धारूमल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी अरजियाना तहसील व पुलिस थाना सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर।
  2. श्री तगसिंह पुत्र श्री रानसिंह जाति राजपूत उम्र 44 वर्ष पेशा खेती निवासी बेरा आडा मार्ग सायला पुलिस थाना सायला जिला जालोर। (प्राईवेट व्यक्ति)
  3. श्री विकमसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सायला निवासी सायला तहसील व पुलिस थाना सायला जिला जालोर (सरपंच श्रीमति रजनी कंवर का जेठ)
  4. श्रीमति रजनी कंवर पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर हाल सरपंच ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर।
  8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :— कोई नहीं।
  9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :—
  10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रैप राशि 1,50,000/-रु०
  11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
  12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट .....

सेवामें

श्रीमान् एडिशनल एसपी साहब  
ए० सी० बी० जालोर

विषय :— रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।  
महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मन् कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9783181611 का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा वर्ष 2015 में ग्राम सायला में नया बस स्टैण्ड के पास एक आवासीय प्लॉट क्य किया गया था परन्तु मेरे द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट की त्रुटि वंश व्यवसायिक रजिस्ट्री नहीं करवाई थी जिस पर मेरे द्वारा वर्ष 2021 में उक्त प्लॉट की व्यवसायिक रजिस्ट्री जरिये शुद्धिपत्र करवाई गई। वर्ष 2020 में मेरे द्वारा उक्त प्लॉट पर व्यवसायिक निर्माण करवाने के लिये ग्राम पंचायत सायला से इजाजत निर्माण प्राप्त की गई परन्तु कोराना काल के दौरान निर्माण कार्य नहीं करवाया पाया था। तत्पश्चात् मेरे द्वारा फरवरी 2021 में पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया तो ग्राम पंचायत सायला द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया तथा पुनः एनओसी प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया गया। जिस पर मेरे द्वारा फरवरी 2021 में ही ग्राम पंचायत सायला से एनओसी बाबत् रसीद कटवायी गई परन्तु बिना वजह परेशान करते हुए आज दिनांक तक एनओसी जारी नहीं की गई। दिनांक 21.02.2022 को ग्राम पंचायत सायला द्वारा पुनः नोटिस जारी करवाते हुए निर्माण कार्य रोकते हुए मुझे मूल दस्तावेजात के साथ ग्राम पंचायत सायला बुलाया गया। जिस पर दिनांक 22.02.2022 को मैं ग्राम पंचायत सायला में सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम से मिला तो उन्होंने मेरे से एनओसी की रसीद कटवाने हेतु दो लाख चालीस हजार रुपये देने को कहा तो मेरे द्वारा पूर्व में एनओसी जारी होना बताया तो उन्होंने कहा कि पूर्व की एनओसी में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए अब यह एनओसी मान्य नहीं है। जिस पर सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम ने कहा कि तुम हमें एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत के दो दोगें तो तुम्हें एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री विकमसिंह ग्राम पंचायत सायला की सरपंच श्रीमति रजनी कंवर का जेठ है जो ग्राम पंचायत में ही रहता है तथा ग्राम पंचायत का सारा काम काज देखता है। मैं पिछले दो वर्ष से परेशान हूं तथा ग्राम पंचायत के चक्कर काट-काट कर थक चूका हूं। सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी पूराराम बिना रिश्वत लिये मुझे निर्माण कार्य नहीं करने देगें जबकि मैं पूर्व में उक्त प्लॉट पर निर्माण हेतु एनओसी प्राप्त कर चुका हूं।

मैं सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी सायला श्री पूराराम को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे एवं श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी के आपस में कोई लेन देन बकाया नहीं है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें।

सलंगन :— ग्राम पंचायत सायला द्वारा वर्ष 2020 में जारी एनओसी, वर्ष 2021 में एनओसी बाबत् काटी गई रसीद, ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी नोटिस व उक्त क्य शुदा प्लॉट की रजिस्ट्रीयां। दिनांक 23.02.2022

प्रार्थी

एसडी

कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी  
तूरा तहसील सायला जिला जालोर

मोबाईल नम्बर 9783181611

एसडी रॉयल शर्मा एसडी ओमप्रकाश गुर्जर एसडी राजेन्द्रसिंह नि.पु. एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.

25.02.2022

25.02.2022

23.02.2022

23.02.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 23.02.2022 समय 11.30 ए०एम०

इस समय परिवादी कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9783181611 ने एक टाईप शुदा रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर

एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9783181611 का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा वर्ष 2015 में ग्राम सायला में नया बस स्टैण्ड के पास एक आवासीय प्लॉट क्य किया गया था परन्तु मेरे द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट की त्रुटि वंश व्यवसायिक रजिस्ट्री नही करवाई थी जिस पर मेरे द्वारा वर्ष 2021 में उक्त प्लॉट की व्यवसायिक रजिस्ट्री जरिये शुद्धिपत्र करवाई गई। वर्ष 2020 में मेरे द्वारा उक्त प्लॉट पर व्यवसायिक निर्माण करवाने के लिये ग्राम पंचायत सायला से इजाजत निर्माण प्राप्त की गई परन्तु कोराना काल के दौरान निर्माण कार्य नही करवाया पाया था। तत्पश्चात् मेरे द्वारा फरवरी 2021 में पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया तो ग्राम पंचायत सायला द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया तथा पुनः एनओसी प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया गया। जिस पर मेरे द्वारा फरवरी 2021 में ही ग्राम पंचायत सायला से एनओसी बाबत् रसीद कटवायी गई परन्तु बिना वजह परेशान करते हुए आज दिनांक तक एनओसी जारी नही की गई। दिनांक 21.02.2022 को ग्राम पंचायत सायला द्वारा पुनः नोटिस जारी करवाते हुए निर्माण कार्य रोकते हुए मुझे मूल दस्तावेजात के साथ ग्राम पंचायत सायला बुलाया गया। जिस पर दिनांक 22.02.2022 को मैं ग्राम पंचायत सायला में सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम से मिला तो उन्होंने मेरे से एनओसी की रसीद कटवाने हेतु दो लाख चालीस हजार रुपये देने को कहा तो मेरे द्वारा पूर्व में एनओसी जारी होना बताया तो उन्होंने कहा कि पूर्व की एनओसी में सरपंच के हस्ताक्षर नही है इसलिए अब यह एनओसी मान्य नही है। जिस पर सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम ने कहा कि तुम हमें एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत के दे दोगें तो तुम्हें एनओसी लेने की जरूरत नही पड़ेगी। श्री विकमसिंह ग्राम पंचायत सायला की सरपंच श्रीमति रजनी कंवर का जेठ है जो ग्राम पंचायत में ही रहता है तथा ग्राम पंचायत का सारा काम काज देखता है। मैं पिछले दो वर्ष से परेशान हूं तथा ग्राम पंचायत के चक्कर काट-काट कर थक चूका हूं। सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी पूराराम बिना रिश्वत लिये मुझे निर्माण कार्य नही करने देगें जबकि मैं पूर्व में उक्त प्लॉट पर निर्माण हेतु एनओसी प्राप्त कर चुका हूं। मैं सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी सायला श्री पूराराम को रिश्वत नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरे एवं श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी के आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री कानसिंह ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सायला में श्रीमति रजनी कंवर सरपंच निर्वाचित हुई है। जबकि ग्राम पंचायत सायला में सरपंच का समर्त कार्य उसका जेठ श्री विकमसिंह ही करता है। श्री विकमसिंह भ्रष्ट प्रवृति का होकर बिना पैसे लिये किसी भी व्यक्ति का ग्राम पंचायत से संबंधित जायज कार्य नही करता है। पैसे नही देने पर लोगो को नाजायज रूप से परेशान करता है तथा लोगो को चक्कर कटाता रहता है। मैं श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी से मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नही करेंगे। श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सायला में ही मेरे से रिश्वत संबंधी वार्ता कर लेंगे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री कानसिंह से उनका परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से सामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय

लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानिं श्री आदूराम नं० 142 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री कानसिंह से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री आदूराम कानिं को सुपुर्द कर हिदायत दी कि परिवादी श्री कानसिंह के साथ ग्राम पंचायत सायला जाकर श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व श्री विकमसिंह सरपंच जेठ से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री कानसिंह तथा श्री आदूराम कानिं को ग्राम पंचायत सायला के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 23.02.2022 को वक्त 07.00 पी०एम० पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री आदूराम कानिं हमरा परिवादी श्री कानसिंह के ब्यूरो कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री आदूराम कानिं ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 23.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी कानसिंह के साथ रवाना होकर करीबन 01.30 पी०एम० पर ग्राम पंचायत सायला के पास पहुँचा। जिस पर परिवादी श्री कानसिंह को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर सरपंच जेठ श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन संबंधी वार्तालाप करने हेतु रवाना किया गया तथा मन् कानिं पंचायत के आसपास ही गोपनीय स्थान पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात् कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह गोपनीय स्थान पर आकर मुझे टेप रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे मन् कानिं द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में रखा। परिवादी श्री कानसिंह ने बताया कि मैं ग्राम पंचायत सायला पहुँचा तो मुझे वहां सरपंच श्रीमति रजनी कंवर उपस्थिति मिली। जिनसे मैंने कॉम्प्लेक्स निर्माण संबंधी एनओसी बाबत् कहा तो उन्होंने कहा कि ग्राम सेवकजी शाम चार बजे के बाद ही आयेंगे। साथ ही यह भी कहा कि ग्राम सेवकजी शाम चार बजे के बाद ही आयेंगे। तत्पश्चात् शाम करीब 4.30 तक ग्राम सेवक व श्री विकमसिंह के इन्तजार में व्यस्त रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह ने अपने स्तर पर श्री विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम सेवक की उपस्थिति बाबत् मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि ग्राम सेवक श्री पूराराम व श्री विकमसिंह ग्राम पंचायत सायला में आ चुके हैं। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर ग्राम सेवक पूराराम व श्री विकमसिंह से रिश्वती राशि बाबत् वार्ता करने हेतु रवाना कर मन् कानिं परिवादी के इन्तजार में गोपनीय स्थान पर उपस्थिति छुपाते हुए व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी द्वारा मेरे पास आते ही मुझे डिजीटल टेप रेकार्डर सुपुर्द किया। जिस पर मन् कानिं ने उक्त टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया तथा परिवादी श्री कानसिंह ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सायला में पहुँचने पर श्री विकमसिंह सरपंच जेठ व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। जिनसे मैंने मेरी काम्प्लेक्स की एनओसी बाबत् वार्ता की तो विकमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी ने मेरी कॉम्प्लेक्स की एनओसी जारी कराने की ऐवज में एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग की। श्री विकमसिंह ने रिश्वती राशि अपने परिचित श्री तगसिंह को देने हेतु कहा। उक्त वार्ता टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात् मैं एंव परिवादी श्री कानसिंह सायला से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये हैं। उपस्थित परिवादी ने भी कानिं श्री आदूराम के कथनों की ताईद की। साथ ही परिवादी श्री कानसिंह ने यह भी श्री तगसिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक ही समाज के होने के नाते हम एक दूसरे से परिचित भी हैं। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो कानिं श्री आदूराम एंव परिवादी श्री कानसिंह के कथनों की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी श्री कानसिंह ने यह भी बताया है कि कल दिनांक 24.02.2022 को मेरे जरूरी काम होने से रिश्वतेदारी में बाहर जाना है। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन दिनांक 25.02.2022 को करने

निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.02.2022 को किया जाना सुनिश्चित होने से ट्रेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग की वार्तालाप रिकार्ड को सुरक्षित मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में रखा। जिसकी आईन्दा गवाहन एवं परिवादी के रूबरू ट्रांसक्रिप्ट्स रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं सीड़ीया तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह को हिदायत दी कि आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व श्री विक्रमसिंह सरपंच जेठ द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि एक लाख पचास हजार रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 25.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित आवें इत्यादि हिदायत देकर परिवादी श्री कानसिंह को रुखस्त किया गया।

दिनांक 24.02.2022 वक्त 02.00 पी०एम० पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहन की आवश्यकता होने से श्री विक्रमसिंह कानि० को जरिये टेलिफोन निर्देशित किया गया कि श्रीमान उप निदेशक, कृषि विस्तार जालोर से जरिये टेलिफोन सम्पर्क कर उनके कार्यालय के दो गवाहो को दिनांक 25.02.2022 को प्रातः 09.00 ए०एम० पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थिति देने बाबत् पांबद करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि ब्यूरो के समस्त जाब्ता को भी दिनांक 25.02.2022 को समय 09.00 ए०एम० पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् पांबद करावें। तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अदाराम ए.एस.आई. भ्रनिब्यूरो सिरोही को जरिये टेलिफोन वार्ता कर कल दिनांक 25.02.2022 को प्रातः 09.00 ए०एम० पर मय सरकारी वाहन मय जाब्ता के भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आने हेतु पांबद किया गया।

दिनांक 25.02.2022 को वक्त 09.00 ए०एम० पर पांबद शुदा दो स्वतंत्र गवाहन व समस्त ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आये। पूर्व में पांबदशुदा भ्रनिब्यूरो सिरोही का जाब्ता सर्व श्री अदाराम ए.एस.आई., श्री सोहनराम कानि०, श्री रमेश कुमार कानि० व महिला कानि० श्रीमति दिक्षा कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहन का मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री रौयल शर्मा पुत्र श्री हनुमान शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष निवासी नथूसर बास, विवेकानन्दजी की बगीची के पीछे, बीकानेर पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार जालोर मोबाईल नम्बर 9783397333 एवं श्री ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धदेवपुरा तहसील व पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला नागौर हाल कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार जालोर मोबाईल नम्बर 8239580180 होना बताया। कुछ समय पश्चात् पूर्व पांबद शुदा परिवादी श्री कानसिंह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कक्ष में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहन का परिवादी श्री कानसिंह से परस्पर परिचय करवाया गया एंव परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया व पढ़ाया गया तथा परिवादी एंव आरोपीगण के मध्य दिनांक 23.02.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहन को सुनाया गया एंव गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तस्सली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एंव परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कानसिंह से आरोपी श्री विक्रमसिंह के कहेनुसार श्री तगसिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,50,000 रुपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से दौ-दौ हजार रुपये के कुल पिचहतर नोट कुल 1,50,000 रुपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर निम्नानुसार है :-

1.	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	NA	302665
2.	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	AT	870211
3	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	KF	523301
4	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	KS	252247

5	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	KF	103125
6	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	KH	646108
7	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	AA	233848
8	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	CK	299284
9	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	MM	833424
10	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9	DN	343042
11	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	EG	753001
12	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	CV	075156
13	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	EU	791635
14	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	AB	998918
15	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	MC	367935
16	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	KP	919193
17	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	KQ	738785
18	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	DM	940973
19	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	MM	450398
20	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	GK	449436
21	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	GU	258118
22	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	EG	135830
23	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	DH	272205
24	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	DR	779295
25	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	HT	371076
26	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	GW	966543
27	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	GQ	283600
28	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	HV	913558
29	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	KB	278244
30	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	FP	408279
31	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	BP	332190
32	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	EL	479861
33	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	EL	917154
34	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9	AM	751636
35	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	CT	135976
36	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	HU	662087
37	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9	HT	675967
38	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	LG	086674
39	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	FC	498664
40	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	BV	297109
41	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	AK	153891
42	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	HH	775911
43	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	FC	805445
44	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	GN	902241
45	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	DA	912284
46	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	CA	134915
47	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	DM	721709
48	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	0	AM	567739
49	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	EV	097513

50	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	FB	496590
51	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	AH	312273
52	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	GL	472322
53	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	ML	757602
54	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	GR	084283
55	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3	EW	495791
56	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	ER	720243
57	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	KF	789360
58	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	KT	715196
59	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9	EN	908597
60	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	FK	931948
61	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	MG	636617
62	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	AH	863491
63	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	CE	193429
64	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1	DQ	012193
65	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	HW	004088
66	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	0	BF	223060
67	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	HK	480475
68	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	HR	987491
69	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4	GN	571752
70	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8	ML	052553
71	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	DN	813629
72	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7	CA	533042
73	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6	FG	381631
74	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5	FQ	384517
75	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2	CD	619303

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिंहोंनो 96 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री गुलाबसिंह कानिंहोंनं 140 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कानसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री रायेल शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) /- रुपये के नोट श्री गुलाबसिंह कानिंहोंनं 140 से ही परिवादी के पहने हुये शर्ट के बांधी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब में रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा सह आरोपी श्री तगसिंह द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में सह आरोपी तगसिंह से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। सह आरोपी श्री तगसिंह द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते हैं अथवा कहाँ छुपाते हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि सह आरोपी तगसिंह द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह कानिंहोंनं 140 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को

समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझायां गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व सह आरोपी श्री तगसिंह के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानिं 0 नं 140 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय निगरानी हेतु पीछे छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रदर्शन फिनॉफिथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर में किया जाकर फर्द पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गयी। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह एवं श्रीमति रजनी कंवर सरपंच के मध्य रुबरु दिनांक 23.02.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रुबरु मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिं 0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह एवं आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व श्री विकमसिंह सरपंच जेठ के मध्य रुबरु दिनांक 23.02.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रुबरु मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिं 0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

तत्पश्चात् वक्त 12.45 पी०एम० पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन श्री रॉयल शर्मा व श्री ओमप्रकाश गुर्जर, परिवादी श्री कानसिंह एवं ब्यूरो जाब्ता हैड कानिं 0 श्री सुखाराम नं 96, श्री मोहनलाल हैड कानि, श्री विकमसिंह कानि, श्री भवानीसिंह कानिं 0, श्री कालूराम कानिं 0, श्री आदूराम कानिं 0 व श्री अदाराम ए.एस.आई मय जाब्ता श्री सोहनराम कानि, श्री रमेश कानि, श्रीमति दिक्षा म०का० व श्री गणेश कानि. ड्रा. भ्रनिब्यूरो सिरोही मय डिजीटल ट्रेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये निजी व सरकारी वाहनो के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर से सायला की तरफ रवाना हुए। श्री गुलाबसिंह कानिं 0 को निगरानी हेतु कार्यालय पर छोड़ा गया। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम सायला के नजदीक पहुंचे। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही बाबत् विचार विमर्श किया जाकर प्रकरण में संदिग्ध आरोपीगण सर्व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सायला, श्री विकमसिंह मध्यस्थ तथा श्री तगसिंह मध्यस्थ को ट्रेप कार्यवाही में

दस्तयाब करने हेतु ब्यूरो जाब्ता मय गवाहन का पृथक—पृथक विभाजन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि० श्री विकमसिंह व श्री अदाराम ए.एस.आई मय ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम कानि०, श्री रमेश कानि० व श्रीमति दिक्षा म०का० के आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व विकमसिंह को दस्तयाब करने हेतु रवाना हुए। मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता मय परिवादी श्री कानसिंह के मध्यस्थ श्री तगसिंह से रिश्वती०राशि लेन—देन हेतु मध्यस्थ श्री तगसिंह के बेरा आडा मार्ग सायला की तरफ रवाना होकर बेरा आडा मार्ग सायला के पास पहुंचे। परिवादी श्री कानसिंह ने मध्यस्थ श्री तगसिंह की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात की तो ज्ञात हुआ कि श्री तगसिंह के किसी रिश्वेदारी में स्वर्गवास होने से ग्राम सायला से बाहर गया हुआ है जो आज ग्राम सायला उपस्थित नहीं आयेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रैप कार्यवाही आईन्दा दिनांक 28.02.2022 को मुर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाये गये। तत्पश्चात् ट्रैप कार्यवाही आज नहीं होने की सम्भावना को देखते हुए पूर्व में परिवादी को फिनोपथलीन युक्त दी गई रिश्वती राशि को श्री आदूराम कानि० 142 से परिवादी के जेव से निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर श्री आदूराम कानि० से ट्रैप बाक्स में रखवाई गई एवं श्री आदूराम कानि० के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाए गए एवं परिवादी को हिदायत दी गई दिनांक 28.02.2022 को मध्यस्थ श्री तगसिंह की उपस्थिति ज्ञात कर मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क करे। तत्पश्चात् परिवादी को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए दिनांक 28.02.2022 को वक्त 09.30 ए०एम० पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित होने बाबत् पांबद कर रुखस्त किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन मय जालोर व सिरोही का ब्यूरो जाब्ता, ट्रैप बाक्स, टेप रिकार्डर, सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, कागज के लिफाफे में बंद रिश्वती राशि का पैकेट एवं अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी एंव निजी वाहन के भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर पहुंचे। स्वतंत्र गवाहन को रुखस्त करते हुए हिदायत दी गई की अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2022 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आवे एवं अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बरते।

दिनांक 28.02.2022 वक्त 09.30 ए०एम० पर पांबद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहन, परिवादी व समस्त ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आये। तत्पश्चात् ट्रैप कार्यवाही हेतु मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहन श्री रॉयल शर्मा व श्री ओमप्रकाश गुर्जर, परिवादी श्री कानसिंह एवं ब्यूरो जाब्ता हैड कानि० श्री सुखाराम न० 96, श्री मोहनलाल हैड कानि०, श्री विकमसिंह कानि०, श्री कालूराम कानि०, श्री आदूराम कानि०, श्री गोपाल कुमार कानि०, श्री गुलाबसिंह कानि०, श्री रणवीर मनावत ड्वा. कानि० मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये निजी व सरकारी वाहनो के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर से सायला की तरफ रवाना हुए। श्री भवानीसिंह कानि० को निगरानी हेतु कार्यालय पर छोडा गया। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम सायला के नजदीक पहुंचे। श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि० श्री विकमसिंह मय निजी वाहन के आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सायला को ट्रैप कार्यवाही में दस्तयाब करने हेतु तथा श्री सुखाराम हैड कानि० मय ब्यूरो जाब्ता गोपाल कुमार कानि०, श्री गुलाबसिंह कानि०, मय सरकारी वाहन मय चालक रणवीर मनावत के आरोपी मध्यस्थ श्री विकमसिंह को दस्तयाब करने हेतु ग्राम पंचायत सायला की तरफ रवाना हुए। मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन मय ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि०, श्री कालूराम कानि०, श्री आदूराम कानि०, मय परिवादी श्री कानसिंह मय निजी वाहन के मध्यस्थ श्री तगसिंह से रिश्वती राशि लेन—देन हेतु मध्यस्थ श्री तगसिंह के बेरा आडा मार्ग सायला की तरफ रवाना शुदा बेरा आडा मार्ग सायला के पास पहुंचे। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री

कानसिंह को ट्रेप ब्राक्स में रखे कागज लिफाफे में रखी फिनाफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि कानिं श्री आदूराम से निकलवाई जाकर परिवादी के पहने हुए कुर्त की जेब में रखवाये गये एवं समस्त जाब्ता के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाए गए। तत्पश्चात् परिवादी श्री कान सिंह को ब्यूरो का डिजीटल ट्रेप रिकार्डर ऑन कर चलाने की समझाईस कर उसे सुपूर्द कर रिश्वती राशि देने हेतु मध्यस्थ श्री तगसिंह के बेरे की तरफ रवाना करते हुए हिदायत दी कि मध्यस्थ श्री तगसिंह के गिलने पर उक्त रिश्वती उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात उससे हाथ नहीं मिलावे एवं ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करे व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता को डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकार्ड करे। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के आरोपी मध्यस्थ के बेरे के इर्द-गिर्द अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात् रुबरु मौतबीरान परिवादी श्री कानसिंह ने मध्यस्थ श्री तगसिंह निवासी बेरा आडा मार्ग सायला जिला जालोर के कृषि कुएं के मुख्य गेट पर आकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस राजेन्द्रसिंह मय गवाहन सर्व श्री रॉयल शर्मा व श्री ओमप्रकाश गुर्जर मय ब्यूरो जाब्ता के शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी के पास पहुंच परिवादी श्री कानसिंह को पूर्व में दिया डिजीटल ट्रेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में रखा तथा परिवादी श्री कानसिंह ने बताया कि मध्यस्थ श्री तगसिंह अपने बेरा आडा मार्ग सायला में रिस्त मकान के पीछे खाट पर बैठा है। जिसने मुझसे अभी-अभी 1,50,000 रुपये मेरे कॉम्प्लेक्स की एनओसी जारी करवाने हेतु सरपंच श्रीमति रजनी कंवर के जेठ श्री विकमसिंह के कहेनुसार प्राप्त कर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के परिवादी को हमरा लेकर मध्यस्थ श्री तगसिंह के उक्त निवास स्थान पर पहुंचे। जहां पर एक अन्य व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री कानसिंह ने उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही मध्यस्थ श्री तगसिंह है जिन्होंने मुझसे अभी-अभी एक लाख पचास हजार रुपये प्राप्त कर बिना गिने ही अपनी शर्ट की बांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने मय स्वतंत्र गवाहन एवं हमरायान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना तगसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 44 वर्ष पेशा खेती निवासी बेरा आडा मार्ग सायला पुलिस थाना सायला जिला जालोर होना बताया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मध्यस्थ श्री तगसिंह को परिवादी श्री कानसिंह से रिश्वती राशि 1,50,000 रुपये प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि मैं कानसिंह को अच्छी तरह जानता हूँ। समाज के होने के नाते हम कई बार पहले भी मिल चुके हैं। श्री कानसिंह के बस स्टैण्ड के पास प्लॉट है। उक्त प्लॉट में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आज से करीब पांच-छः दिन पहले मुझे विकमसिंह ने कहा था कि कानसिंह जी उनके कॉम्प्लेक्स की एनओसी के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये देगें जो आप अपने पास ले लेना। जिस पर अभी कुछ देर पहले ही श्री कानसिंह जी मेरे बेरे पर आये थे तथा मुझे एक लाख पचास हजार रुपये दिये थे जो मैंने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखे हैं। श्री तगसिंह अपने बेरे पर सपरिवार रहता है। श्री तगसिंह की धर्मपत्नि व बाल बच्चे बेरे पर उपस्थित थे। जिस पर तगसिंह को यथारिति में ट्रेप दल के निजी वाहन में बैठाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सायला की तरफ रवाना हुआ।

तत्पश्चात् उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा पुलिस थाना सायला पहुंचे। पुलिस थाना सायला पहुंच थानाधिकारी से उनके कार्यालय कक्ष खुलवाया जाकर ट्रेप संबंधी अग्रिम कार्यवाही बाबत् स्वीकृति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी के रुबरु आरोपी श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कांच की दो साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डालकर घोल तैयार किया

गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के दांहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाँईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर सील मोहर कर चेपों पर पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाँईदार गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री रॉयल शर्मा कनिष्ठ सहायक से आरोपी श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में दौ—दौ हजार रुपये के पिचहतर नोट कुल 1,50,000 रुपये पाए गए। जिसे उक्त गवाह श्री रॉयल शर्मा कनिष्ठ सहायक से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के दौ—दौ हजार रुपये के पिचहतर नोट कुल 1,50,000 रुपये होना पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश गुर्जर को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु पाये गये। उपरोक्त बरामदा कुल राशि 1,50,000 रुपये को एक कपड़े की थेली में सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात आरोपी श्री तगसिंह की जामा तलाशी में उक्त रिश्वती राशि 1,50,000 रुपये के अलावा आरोपी के पास जामा तंलाशी के दौरान अन्य कोई वस्तु, दस्तावेज एंव राशि वगैरहा नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उनके पहनने हेतु एक अन्य शर्ट की व्यवस्था की जाकर उनके पहनी हुई शर्ट को उत्तरवाया जाकर अवलोकन किया गया तो उक्त शर्ट बरंग हल्का हरा सफेद धारीदार होना पाया गया। तत्पश्चात् एक साफ गिलास में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी तगसिंह के वक्त वाका पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब को उलटवाकर घोल में 2—3 बार डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एस-1 व एस-2 अंकित किया गया। उक्त शर्ट की जेब को सुखाकर जेब को उलटवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली घर भी प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। इसी दौरान श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री विक्रमसिंह कानिं<sup>0</sup> के जरिये सरकारी वाहन के आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत सायला जिला जालोर को प्रकरण हाजा में दस्तयाब कर पुलिस थाना सायला लेकर आये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एंव ब्यूरो जाक्ता का परिचय दिया जाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पूराराम पुत्र श्री धारुमल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी अरजीयाणा तहसील व पुलिस थाना सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत सायला जिला जालोर होना बताया। उपरिथित परिवादी श्री कानसिंह की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी को पहचानने बाबत् पूछा गया तो

आरोपी श्री पूराराम ने बताया कि मैं ग्राम पंचायत डांगरा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं। मेरे पास दिनांक 11.02.2022 से ग्राम पंचायत सायला का अतिरिक्त चार्ज भी है। मैं कानसिंह को जानता हूं। कानसिंह ने करबा सायला में बस स्टैण्ड के पास अपने भूखण्ड पर कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु एनओसी बाबत् प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त एनओसी प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आता जाता है। श्री कानसिंह को ग्राम पंचायत ने अपने कॉम्प्लेक्स पर बिना इजाजत निर्माण के संबंध में दिनांक 21.02.2022 को नोटिस भी जारी किया था। दिनांक 23.02.2022 को मैंने कान सिंह को उसके कॉम्प्लेक्स निर्माण से संबंधित राशि करीबन 2,23,694 रुपये ग्राम पंचायत सायला के पंचायत कोष खाते में जमा कराने हेतु कहा था। मैंने कानसिंह से किसी प्रकार की रिश्वती राशि की मांग नहीं की थी एवं न ही मैंने कानसिंह से उक्त एनओसी के संबंध में किसी प्रकार की रिश्वती राशि प्राप्त की है। मैं पूर्णतः निर्दोष हूं। तत्पश्चात् उपरिथित परिवादी श्री कानसिंह ने आरोपी श्री पूराराम के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने ग्राम पंचायत सायला में एक आवासीय भूखण्ड पर मकान निर्माण बाबत् स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर ग्राम पंचायत सायला द्वारा दिनांक 10.02.2021 को स्वीकृति जारी की गई थी। मैंने उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण नहीं कर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था जिस पर मैंने ग्राम पंचायत सायला में कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सायला में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने कहा कि उक्त भूखण्ड का वाणिज्य परियोजन बाबत् पट्टा संशोधित करवाकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करे। जिस पर मैंने वाणिज्यक परियोजनार्थ बाबत् शुद्धिपत्र जारी करवाकर पट्टा मय शुद्धिपत्र काम्प्लेक्स निर्माण एनओसी हेतु दस्तावेजात ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये थे। कॉम्प्लेक्स निर्माण की एनओसी जारी करवाने बाबत् कई बार ग्राम पंचायत पहुंच कर सरपंच श्रीमति रजनी कंवर से मिला तथा सरपंच का कार्य उसके जेठ श्री विकमसिंह देखते हैं। श्री विकमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम से मिला तो उन्होंने मेरे काम्प्लेक्स की एनओसी जारी करवाने बाबत् एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा उक्त रिश्वती राशि श्री तगसिंह को देने हेतु कहा। जिस पर आज दिनांक 28.02.2022 को मैं श्री तगसिंह से उसके बेरे पर मिला तो उन्होंने मेरे से विकमसिंह के कहेनुसार मेरे काम्प्लेक्स की निर्माण स्वीकृति की ऐवज में एक लाख पचास हजार रुपये प्राप्त कर अपनी शर्ट की बांयी जेब में रखे हैं। तत्पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम से परिवादी श्री कानसिंह के काम्प्लेक्स से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड बाबत् पूछने पर ग्राम पंचायत सायला में होना बताया। उक्त रेकार्ड पृथक से जरिये फर्द जब्त कर शामिल रनिंग नोट की जायेगी। तत्पश्चात् ब्यूरो जाब्ता के हैड कानि, श्री सुखाराम मय जाब्ता श्री रणवीर मनावत कानि<sup>0</sup> ड्राईवर उपरिथित आये तथा बताया कि ग्राम पंचायत सायला के इर्द गिर्द संभावित स्थानों पर श्री विकमसिंह मध्यस्थ की तलाश पतारसी की गई तो श्री विकमसिंह दस्तयाब नहीं हो पाया। संभावतया श्री विकमसिंह को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से रुहपोश होना ज्ञात हुआ। प्रकरण में श्रीमति रजनी कंवर सरपंच ग्राम पंचायत सायला जिला जालोर की भी भूमिका संदिग्ध है। सरपंच श्रीमति रजनी कंवर दिनांक 23.02.2022 को मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता व मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ग्राम पंचायत सायला में मौजूद थी। परिवादी श्री कानसिंह ने अपने जायज कार्य के कहा तो उसने ग्राम सेवक के आने पर काम करने का कहा। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान भी सरपंच श्रीमति रजनी कंवर द्वारा श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व अपने जेठ श्री विकमसिंह की मौजूदगी में परिवादी कानसिंह पर एनओसी के संबंध में दबाव बनाया गया था। परिवादी श्री कानसिंह को उसके कॉम्प्लेक्स की एनओसी बाबत्

नोटिस व डिमाण्ड भी सरपंच श्रीमति रजनी कंवर के हस्ताक्षर से ही जारी करना पाये गये है। जिसके संबंध में सरपंच श्रीमति रजनी कंवर से पूछतांछ करने बाबत् गुप्त रूप से जानकारी की तो सरपंच श्रीमति रजनी कंवर को सम्भवतः ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से फरार होकर ग्राम पंचायत सायला में मौजूद नहीं होना पाया गया। आईन्दा सरपंच श्रीमति रजनी कंवर व उसके जेठ श्री विकमसिंह की तलाश पतारसी के प्रयास किये जायेंगे। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य लेन-देन वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जाएगी।

तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वंत्र गवाहन मय परिवादी श्री कानसिंह मय आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी मय ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल का मौका मुआयना व आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी करने हेतु ग्राम पंचायत सायला की तरफ रवाना हुआ। श्री सुखाराम हैड कानिं तथा कानिं आदूराम को सह आरोपी मध्यस्थ श्री तगसिंह की निगरानी बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई। उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा ग्राम पंचायत सायला पहुंचा, आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी प्रारम्भ कर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के घटनास्थल का मौका मुआयना करने हेतु मध्यस्थ श्री तगसिंह के बेरा आडा मार्ग सायला पहुंचा। जहां परिवादी श्री कानसिंह की निशादेही से रुबरु मौतबीरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के मध्यस्थ श्री तगसिंह के बेरा आडा मार्ग सायला से पुलिस थाना सायला की तरफ रवानाशुदा मय हमरायान के पुलिस थाना सायला पहुंचे।

तत्पश्चात् मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहन, परिवादी श्री कानसिंह, आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व श्री तगसिंह मध्यस्थ एवं ब्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल टेप रिकॉर्डर, रिश्वती राशि सिल्ड शुदा, जब्त शुदा मालखाना आईटम के जरिये निजी व सरकारी वाहनो के पुलिस थाना सायला से ब्यूरो कार्यालय जालोर के लिए रवाना हुए। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा भ्रनिब्यूरो कार्यालय पहुंच प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मालखाना आईटम क्रमशः मध्यस्थ आरोपी श्री तगसिंह से बरामदा रिश्वती राशि 1,50,000 रुपये कपडे की थेली में शिल्ड शुदा, जब्त शुदा शर्ट शिल्ड शुदा, आरोपी के दोनों हाथों, शर्ट के धोवन की शिशियां क्रमशः मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2 एवं एस.-1 व एस.-2 शिल्ड शुदा मालखाना प्रभारी हैड कानिं श्री सुखाराम नं 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह एवं आरोपी मध्यस्थ श्री तगसिंह के मध्य आज दिनांक 28.02.2021 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ताओं को रुबरु मौतबीरान एवं परिवादी श्री कानसिंह के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टस् रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी. एक व एक डब सी.डी., मालखाना प्रभारी हैड कानिं श्री सुखाराम नं 96 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। आरोपी श्री तगसिंह की आवाज की पहचान परिवादी श्री कानसिंह द्वारा की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मामा बेटे भाई सुजाराम के मोबाइल नं 9414634210 पर दी गई। तत्पश्चात् आरोपी मध्यस्थ श्री तगसिंह को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का

गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नि श्रीमति छगनं कंवर के मोबाईल नं० 6350654499 पर दी गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानसिंह व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रॉयल शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री ओमप्रकाश गुर्जर कृषि अधिकारी को रुखरस्त किया गया। तत्पश्चात् गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह का चिकित्सक परीक्षण करवाना आवश्यक होने तथा ब्यूरो कार्यालय जालोर में हवालात की व्यवस्था नही होने से पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली एवं चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय जालोर के नाम की अलग-अलग तहरीर देकर आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह को ब्यूरो जाब्ता हैड कानि० श्री सुखाराम, कानि० श्री कालूराम मय सरकारी वाहन मय चालक श्री रणवीर मनावत के रवाना कर निर्देशित किया कि आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह का मेडीकल मुआयना करवाकर पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लावे। उपरोक्त फिकरा के गये हुए हैड कानि० श्री सुखाराम मय ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आया एवं हैड कानि० सुखाराम ने बताया कि आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह का राजकीय चिकित्सालय जालोर से मेडीकल मुआयना करवाकर मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् राजकीय चिकित्सालय जालोर से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली पहुंच आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह को पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवा दिया गया है। मेडीकल रिपोर्ट एवं जमा करवाने की प्राप्ति रसीद मन् निरीक्षक पुलिस को पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री पूराराम पुत्र श्री धारूमल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी अरजियाना तहसील व पुलिस थाना सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री कानसिंह के कॉम्प्लेक्स पर निर्माण कार्य करवाने बाबत् एनओसी जारी करवाने की ऐवज में श्री विक्रमसिंह सरपंच जेठ से मिलीभगत कर परिवादी की कॉम्प्लेक्स की एनओसी हेतु दो लाख चालीस हजार की रसीद कटवाने का दबाव बनाया जाकर बिना एनओसी लिये निर्माण कार्य करवाने की ऐवज में एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग करना, दिनांक 23.02.2022 को वक्त मांग सत्यापन परिवादी श्री कानसिंह द्वारा सरपंच श्रीमति रजनी कंवर को अपने जायज कार्य का कहने पर ग्राम सेवक के आने पर कार्य करने का कहा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम व अपने जेठ श्री विक्रमसिंह की मौजूदगी में पुनः परिवादी श्री कानसिंह पर एनओसी बाबत् दबाव बनाकर श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व श्री विक्रमसिंह सरपंच जेठ द्वारा परिवादी कानसिंह से एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग कर मध्यस्थ श्री तगसिंह को देने का कहने की पुष्टि होने पर तथा दिनांक 23.02.2022 को वक्त मांग सत्यापन के दौरान श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमति रजनी कंवर सरपंच तथा श्री विक्रमसिंह सरपंच जेठ की वार्ता रेकार्ड होना पाया गया। जिस पर दिनांक 28.02.2022 को मध्यस्थ श्री तगसिंह के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर स्वतंत्र गवाहान के रुबरु मध्यस्थ आरोपी श्री तगसिंह वगे 1,50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि मध्यस्थ श्री तगसिंह के पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब से बरामद की गई। सरपंच श्रीमति रजनी कंवर व उसके जेठ श्री विक्रमसिंह को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से सकूनत से रुहपोश है। अतः आरोपी श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी व मध्यस्थ श्री तगसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाने से आरोपीगणो के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टया पाया गया है।

अतः आरोपी श्री पूराराम पुत्र श्री धारुमल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी अरजियाना तहसील व पुलिस थाना सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर, श्री तगसिंह पुत्र श्री रानसिंह जाति राजपूत उम्र 44 वर्ष पेशा खेती निवासी बेरा आडा मार्ग सायला पुलिस थाना सायला जिला जालोर, श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर व श्रीमति रजनी कंवर पत्नि शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर हाल सरपंच ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर के विरुद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट करता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय,



(राजेन्द्रसिंह)

निरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
जालोर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री पूराराम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डांगरा, अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत व पंचायत समिति सायला, जिला जालोर 2.श्री तगसिंह पुत्र श्री रानसिंह निवासी सायला जिला जालोर (प्राईवेट व्यक्ति) 3.श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी सायला, जिला जालोर (सरपंच श्रीमती रजनी कंवर का जेठ) एवं 4.श्रीमती रजनी कंवर पत्नी शम्भूसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत सायला, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 67/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

*लू)* 1.3.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कमांक: 613-18 दिनांक 01.03.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जालोर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

*लू)* 1.3.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर